

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

9 फरवरी, 1999

खण्ड 1, अंक 9

अधिकृत विवरण

## विशय सूची

मंगलवार, 9 फरवरी, 1999

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9)1
समितियों की रिपोर्टस पर चर्चा करना	(9)15
(i) पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 47वीं रिपोर्ट	(9)15
(ii) ऐस्टीमेट्स कमेटी की 31वीं रिपोर्ट	(9)15
(iii) पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी की 44वीं रिपोर्ट	(9)15
वर्ष 1998-99 के अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा तथा मतदान	(9)16
वर्ष 1999-2000 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(9)19
बिल्स	
(i) दि हरियाणा पंचायती राज (अमैडमेंट) बिल, 1999	(9) 24
(ii) दि हरियाणा रिजर्व्ड रोड्स एंड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरैगुलेटेड डिवैल्पमेंट (हरियाणा अमैडमेंट) बिल, 1999	(9) 28

## हरियाणा विधान सभा

मगलवार, 9 फरवरी, 1999

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छत्तर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बरज अब प्र न काल होगा।

तारांकित प्र न सख्या: 811

(इस समय माननीय सदस्य श्री देव राज दीवान सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्र न पूछा नहीं गया।)

### **Sewerage Treatment Plant**

**874. Shri Anil Vij:** Will the Minister for Public Health be pleased to state-

(a) the number of sewerage systems in the State in which sewerage treatment plants have been provided; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide sewerage treatment plants all the remaining sewerage system in the State particularly in Ambala Cantt?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ):

(क) राज्य के 13 भाहरों में मल भाोधन संयंत्र निर्माणधीन है।

(ख) दूसरों भाहरों में भी मल भाोधन संयंत्र निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के पास सक्रिया तौर पर विचाराधीन है। मल भाोधन संयंत्र बहुत महंगा होने पर भी पर्याप्त धन राशि का प्रबंध करने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं।

**श्री अनिल विज:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हरियाणा के कितने भाहरों में इस वक्त सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम वार्किंग कंडिशन में है। उनके अवाला क्या सरकार बाकी भाहरों में भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बारे में विचार करेगी। अगर विचार कर लिया है तो वह किसी हद तक विचार किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, आज समय पर एन्वायरमेंट के बारे में विचार किया जा रहा है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि बाकी जगहों पर कब तक ट्रीटमेंट प्लांट लगा लिए जाएंगे।

**श्री जगन नाथ:** अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद सात बड़े भाहरों में यह योजना चल रही है और छः छोटे भाहरों में जिनमें छछरौली, रादौर, इन्द्री, धरोदा, गोहाना और पलबल आते हैं में भी यह योजना चल रही है। फरीदाबाद में 3 ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। गुड़गांव में काम पूरा हो गया है और बाकी जगहों पर

जून-जुलाई में काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी बाहर है उनमें काम सन् 2000 तक पूरा हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये ट्रीटमेंट प्लांट्स 40 करोड़ के लगेंगे लेकिन अभी हमें पैसा नहीं मिला है। जब हमें पैसा मिल जाएगा तो काम ही जाएगा। जीन्द और रोहतक में ट्रीटमेंट प्लांट प्लांट की जरूरत है इसलिए इसको हम पहले पूरा करेंगे और अम्बाला के बारे में भी सोच सकते हैं।

**श्री अनिल विज:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह बताएं कि प्लांट लगाने के लिए क्या केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। अगर दी जा रही है तो वह किस आधार पर और किस रेटे पर दी जा रही है?

**श्री जगन नाथ:** अध्यक्ष महोदय, ये जो 13 नाम मैने लिए हैं इसमें पहले 50 प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट और 50 प्रतिशत सैन्टरल गवर्नमेंट खर्च करती थी लेकिन 1-4-97 को जो मीटिंग हुई थी उसमें सी० एम० साहब भी थे और उसमें यह फैसला लिया गया कि 1-4-97 से उन पर 100 प्रतिशत खर्च सैन्टरल गवर्नमेंट करेगी। यमुना ऐक्टान प्लान के तहत उन भाहरों के अलावा बाकी भाहरों में जो खर्चा होगा वह स्टेट गवर्नमेंट करेगी।

**श्री अध्यक्ष:** मंत्री जी आपने कहा है कि अम्बाला में इस बारे में सोचा जा सकता है।

श्री जगन नाथ: अध्यक्ष महोदय, हमारे पास पैसा नहीं है अगर पैसा होता तो हम सारा काम आज ही करवा देते ।

**तारांकित प्र न सं० ९२१**

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री नफे सिंह राठी समन में उपस्थित नहीं थे ।)

**तारांकित प्र न सं० ९२१**

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह राठी समन में उपस्थित नहीं थे ।)

**Vacant Posts of Dactors**

**९६६. Shri Satpal Sangwan:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether any post of Dental Surgeons, S.M.Os and M.Os. are lying vacant in the hospitls of district Bhiwant at present; and

(b) if so. the time by which the aforesaid posts are likely to be filled up?

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रका १ महाजन):**

(क) भिवानी जिला में दन्तक सर्जनों के ८ पद, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के २ पद तथा चिकित्सा अधिकारियों के ४२ पद रिक्त है ।

(ख) इन रिक्त पदों भीघ्र भरने के लिए पग उठाए जा रहे हैं।

**श्री सतपाल सांगवान:** अध्यक्ष महोदय, दादरी में डेंटल सर्जन लगाने के बारे में मैंने पिछले सै। उन में भी कहा था और इस तरह से मेरे हल्के के छपार गांव में मेडीकल ओफिसर लगाने के बारे में भी मैंने यहां पर पहले कहा था। लेकिन अभी तक भी दादरी में कोई डेंटल सर्जन नहीं लगाया गया। पहले वहां पर वह केवल 14 दिन के लिए लगाया गया था लेकिन बाद में उसकी वापस बुला लिया गया था। क्या मंत्री जी इन दोनों जगहों पर डेंटल सर्जन एवं मैडिकल ओफिसर लगाने की कृपा करेंगे?

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** माननीय अध्यक्ष महोदय, सांगवान साहब ने ठीक ही कहा कि अभी तक इनके दादरी में डेंटल सर्जन की पोस्ट बेकनेंट है लेकिन मैं इनकी बताना चाहूंगा कि मानहेरू के स्वास्थ्य केन्द्र से वहां एक एक डाक्टर दो दिन के लिए दादरी में जाता है। हमने एच० पी० एस० सी० में 19 डाक्टरों को लगाने के लिए रिक्वीजिशन भेजी हुई है अब वे इनका इन्टरव्यू ले रहे हैं जैसे ही इनकी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी उसके बाद फौरन इन पदों को भर दिया जाएगा।

**श्री सतपाल सांगवान:** अध्यक्ष महोदय, जहां तक डेंटल सर्जन को लगाने का सवाल है अभी कुछ दिनों इनकी काफी

संख्या में पोस्टिंग हुई है लेकिन पता नहीं मंत्री जी ने हमारे दादरी में क्यों नहीं कोई डेंटल सर्जन लगाया है।

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ठीक कहा कि अभी 93 डेंटल सर्जनों की नियुक्ति हुई है लेकिन दादरी में कोई डेंटल सर्जन नहीं लगाया गया है लेकिन इस बारे में जैसा कि मैंने अर्ज किया है इनके दादरी में दो दिन के लिए मानहेरू स्वास्थ्य केन्द्र से एक डाक्टर जाता है लेकिन जल्दी ही थोड़े दिनों के बाद हम दादरी में डेंटल सर्जन लगा देंगे। जहां तक छपार गांव में मेडीकल ओफिसर लगाने की बात है, हमने अपने तौर पर 300 डाक्टरों की नियुक्ति के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वीजिशन भेजी हुई है और यह रिक्वीजिशन हमने 1998 में भेजी थी। अब इनके इंटरव्यू लगभग खत्म हो चुके हैं और 5-10 दिन के अन्दर इनका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद हम डाक्टरों के सारे-सारे रिक्त स्थान भर देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारा सिस्टम ऐसा हो गया है कि जब कोई डाक्टर अपनी तालीम लेता है तो उसे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है और जब वह अपनी यह तालीम पूरी करता है तो उसके बाद उसकी यह कोशिश होती है कि जो पैसा उसने अपनी तालीम लेते समय खर्च किया पहले वह जल्दी से जल्दी कमाया जाए। इसी कारण से ये डाक्टरों को भाहरों करवाना चाहते हैं क्योंकि ये भाहरों में अपनी अलग से क्लिनिक भी खोल लेते हैं और इसी वजह से ये गांवों में जाना डाक्टरों को गांवों में भेजा जाए। हमने



पहले 205 डाक्टरज की नियुक्ति की थी लेकिन ज्वाइन केवल 100 ने ही किया और 100 में से भी वाद में 30 डाक्टरज छोड़कर चले गए। कोई भी डाक्टर गांव में पोस्टिंग करवाने के लिए तैयार ही नहीं है परन्तु हमारा यह प्रयास है कि आने वाले 330 डाक्टरज की नियुक्ति बिल्कुल ठीक तरह से करें।

**श्री अध्यक्ष:** मंत्री जी, क्या आप बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट भिवानी में एस० एम० ओज० की पोस्ट कहां कहां पर खाली है? जितने भी भिवानी जिले में सी० एच० सीज० है वहां पर कोई एस० एम० ओ० नहीं है। पहले जब एम० एम० ओस० की पोस्टिंगज हुई थी तो उस समय मैंने आपसे धनाना और बीदकला के बारे में कहा भी था लेकिन यहां पर या अन्य सी० एच० सीज० में एम० एम० ओज० की भर्ती नहीं की गयी। वैसे तो यह पोस्टिंग का मामला है लेकिन आप बताएं कि जिन लोगों को पोस्टिंग हुई थी उन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं किया?

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** अध्यक्ष महोदय, जिला भिवानी में केवल दो स्थानों में एस० एम० ओ० नहीं है।

**श्री अध्यक्ष:** लेकिन धनाना झोझूकलां, गोपी और बीदकला में भी एस० एम० ओ० नहीं है।

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** अध्यक्ष महोदय, मेरे हिसाब से तो बीदकला में एस० एम० ओ० हुआ है और झोझूकलां और गोपी गांव में नहीं है। इनकी 15 परसेंट नियुक्तियां प्रमोशनल

बेसिज पर हुई है। ये फिगरज डी० सी० की तरफ से हमारे पास आ रही है।

**श्री राम बिलास भार्मा:** स्पीकर सर, सतपाल सांगवान जी कितने सौभाग्य माली है कि उनके हर सवाल के साथ महामहिम अध्यक्ष महोदय खुद सप्लीमेंट्री पूछते हैं और आदेश देते हैं।

**श्री अध्यक्ष:** राम बिलास जी, मेरा और इनका एक ही भाहर है दादरी और भिवानी। महाजन साहब, भिवानी में जो जनरल हास्पिटल है वह हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन उसमें भी डॉक्टरों की नितान्त आवश्यकता है तो क्या आप वहां डॉक्टर जल्दी भेजने का प्रावधान करेंगे?

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया कि यह जो 330 डाक्टरों की नियुक्ति कर रहे हैं यह एंड ऑफ दी फरवरी या फर्स्ट वीक आफ दि मार्च में होगी। इसके बाद निश्चित रूप से एक भी पी० एच० सी० या सी० एच० सी० ऐसी रहेगी जहां डॉक्टर न हो।

**श्री सोमबीर सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि सतनाली के अंदर जो पी० एच० सी० है वह भिवानी लोकसभा क्षेत्र व मेरे हल्के में आती है वहां पर काफी समय से डॉक्टर नहीं हैं और बाकी स्टाफ भी नहीं है मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह स्टाफ कब तक नियुक्त कर देंगे?

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना कि पैरा मैडीकल स्टाफ नहीं है तो इस बारे में मैं पता कर लेता हूं वैसे ख्याल से वहां पूरा मैडीकल स्टाफ जरूर होगा इसके अलावा मेरे रिकार्ड के मुताबिक भी वहां डॉक्टर भी है।

**श्री सोमबीर सिंह:** मंत्री जी, आप इस बारे में पता कर लें।

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** अध्यक्ष महोदय, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में कुल मिलाकर चार जगह एक-एक डॉक्टर की कमी है एक तो खड़ौदी में, एक कादमा में, एक लिलस में और एक सण्डवा में।

**श्री सोमबीर सिंह:** कांस्टीच्यूएसी हमारी है लेकिन वैसे सतनाली महेन्द्रगढ़ में पड़ता है।

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** महेन्द्रगढ़ के बारे में आप अलग से क्वैरी चन पूछ लें।

**श्री नृपेन्द्र सिंह:** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने स्वीकार किया कि झोझूकला और गोपी में एम0 एम0 ओज0 की बेकेंसीज खाली पड़ी है और इसके साथ ही खड़ौदी और कादमा में भी डॉक्टर की जगह खाली है क्या मंत्री जी कोई समयबद्ध आवासन देंगे कि कितने समय में ये बेकेंसीज भर देंगे? इसके अलावा झोझूकलां

और गोपी के पी० एच० सीज० में एस एम० ओज० के अलावा कितने डॉक्टरों की वैकेन्सीज खाली है?

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि गोपी और झोज्जूकलां में प्रमोशन के आधार पर पद स्वीकृत होने है और जो नये वर्श की ए० सी० आर० भरी जानी है उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद इस पर कार्यवाही होगी। जहां तक खडौंदी और कहना में डाक्टरों की नियुक्ति का सवाल है तो जब 330 नये डाक्टरों की नियुक्ति की जाएगी तो कोई भी पी० एच० सी०, सी० एच० सी० में डाक्टर की पोस्ट खाली नहीं रहेगी।

**श्री नृपेन्द्र सिंह:** स्पीकर सर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि झोज्जू कलां और गोपी पी० एच० सीज० में एस० एम० ओ० के अलावा कितने डाक्टरों की पोस्टें खाली है?

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** अध्यक्ष महोदय, इन दोनों जगह पर एक-एक डाक्टर की पोस्ट खाली है।

**श्री जगदीश नेवर:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे हल्के हसनपुर में जो हॉस्पिटल है वहां पर चार डाक्टरों के पद हैं लेकिन वहां पर एक ही डाक्टर है बाकी पद खाली है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय में तो सारी मीनिरी और एक्सरे का सामान वहां से उठा लिया था। यह बात मैंने पिछले सत्र में के दौरान भी कही थी। मंत्री जी

कह रहे हैं कि 300 डाक्टरों के पद सरकार ने भरने हैं इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे हल्के के हसनपुर अस्पताल में जो डाक्टरों के पद रिक्त हैं उन्हें भी भरने की कृपा करें। दूसरी बात से लाठर साहब के हल्के जुलाना के बारे में पूछना चाहूंगा कि जुलाना में एम0 एम0 ओ0 का पद कब तक भर जायेगा।

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** माननीय अध्यक्ष महोदय, हैल्थ विभाग के बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खासतौर पर आदेश दे रखे हैं कि अगर डाक्टरों की ज्यादा कमी है तो एडहोक पर डाक्टर लगा दिये जायें। यह बात उन्होंने पीछे एक कैबिनेट की मीटिंग में कही थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डाक्टरों को सिलैक्ट कर दिया जाता है लेकिन देहात में वे जाना पसन्द नहीं करते। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इन पदों को भरा जाये। वैसे में माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे अगर किसी कश्पल केस के बारे में हमें लिखकर दे दें जो वहां जाने के इच्छुक है तो हम मुख्य मंत्री जी से आदेश लेकर वहां पर नियुक्ति कर देंगे।

**श्री चन्द्र भाटिया:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि फरीदाबाद में जो बी0 के0 होस्पिटल बन कर तैयार हो गया है उसकी कब तक चालू करने जा रहे हैं। यह बात मैंने पिछले सत्र में भी रखी थी।

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि बी० के० होस्पिटल का भवन बन कर तैयार हो गया है। पहले उसकी लिफ्ट लगाने में कुछ कमी थी लेकिन अब वह काम भी पूरा हो गया है। उस भवन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने करना है। इस सत्र के बाद उनसे कोई डेट लेकर फरवरी के अन्त तक उसका उद्घाटन करवा देंगे।

**श्री सतपाल सांगवान:** स्पीकर सर, हमें तो गलतफहमी है कि हमारी पी० एच० सी० में डाक्टर नहीं है। भायद ऐसा होगा कि सरकारी रिकार्ड में तो डाक्टर पोस्टिड होंगे लेकिन वे डाक्टर छः छः महीने तक पी० एच० सी० में या सी० एच० सी० में नहीं जाते होंगे। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि छप्पार में छः महीने से डाक्टर ने आकर के नहीं देखा है। अब ये मंत्री जी को पता होगा कि वह डाक्टर छुट्टी पर है या फलों पर है।

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** अध्यक्ष महोदय, इस डाक्टर के बारे में हम पता करवा लेते हैं कि वह डाक्टरों का कोई ही वहां आता है या नहीं। अगर फलों पर होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी कोर्पोरेशन तो पूरी होती है कि डाक्टरों को हर पी० एच० सी० में भेजा जाये परन्तु पिछले 15-20 सालों से डाक्टरों में जबरदस्त लापरवाही आ रही है लेकिन वर्तमान सरकार आने के बाद उनकी लापरवाही पर कुछ अंकुश लगा है। इस लापरवाही के कारण ही मेवात जैसे एरिया में डेंगू फैला और एक लाख से ऊपर इसके केसिज हो गए

थें लेकिन इन समय सिर्फ 2 या 3 प्रति 1त केसिज ही रह गए हैं। इस प्रकार से सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि डाक्टर अपनी ड्यूटी ठीक से निभाएं फिर भी यदि डाक्टर द्वारा लापरवाही बरतने के संबंध में कोई शिकायत आएगी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाही की जाएगी।

**श्री बिजेन्द्र कादयान:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि मेरे हल्के के गांव अहर में पी0 एच0 सी0 को उपग्रेड करके सी0 एच0 सी0 बनाने का मामला सरकार के विचारधीन है, यह कब तक स्पीकृत हो जाएगा?

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से वहां पर सी0 एच0 सी0 पहले ही बनी हुई है लेकिन फिर भी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव यदि आया हुआ है तो उस पर विचार कर लिया जाएगा। वैसे यह इनकी सप्लीमेंटरी इस सवाल में मिलती नहीं है।

**तारांकित प्र न सं0 941**

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री नरेन्द्र सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

**तारांकित प्र न सं0 921**

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री राम फल कुण्डू सदन में उपस्थित नहीं थे।)

### **Extension the Limits of Municipal Committee, Panipat**

**973. Shri Om Parkash jain:** Will the Minister for Local Government be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the limit Municipal Committee, Panipat?

**स्थानीय भासन मंत्री (डा० कमला वर्मा):** नहीं श्री मान।

**श्री ओम प्रकाश जैन:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि इन्होंने 3 दिन पहले ही सदन में कहा था कि यदि किसी कमेटी की सीमा बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव हो, उस पर उपायुक्त की सिफरि हो तथा वहां का विधायक भी चाहता हो तो उस कमेटी की सीमा हम बढ़ा देंगे। दूसरी बात यह है कि पानीपत बहुत बड़ा भाहर है, वहां की आधी आबादी कमेटी से बाहर रहती है और आधी कमेटी के अंदर रहती है। पानीपत का कम से कम 70 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र नगरपालिका की सीमा से बाहर है जिसकी बजह से कमेटी की जो आमदन होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है क्योंकि ज्यादातर लोग राहदारी बनाकर काम चलाते हैं। इस प्रकार से कमेटी की भी वहां पर आमदन की दिक्कत है, दूसरी बात यह है कि 3-4 दिन पहले मंत्री महोदय ने सदन में आवासन दिया था कि ऐसे केसिज में वे सीमा को बढ़ा देगी। पानीपत की कमेटी ने इस बारे में प्रस्ताव



पास करके भेज रखा है जो कि उपायुक्त के माध्यम से आया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे पानीपत नगरपालिका की सीमा बढ़ाने हेतु अपनी हां कर दे, इसमें वहां की जनता को लाभ होगा तथा सरकार को भी लाभ होगा।

**डा0 कमला वर्मा:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि इन्होंने 45 कॉलोनियों के बारे में लिखा था जिन में से 10 कॉलोनियों को तो 29-11-96 को नगरपालिका की सीमा के अंदर लिया जा चुका है बाकि 35 कॉलोनियों के बारे में मैंने कोई आ वासन नहीं दिया था। हा, मैंने इन के लिए नियम बताए थे कि किस प्रकार से हम उनको भी नगरपालिका की सीमा के अंदर ले सकते हैं, जैसे कि अगर वे डिप्लोमैटल चार्जिज दें, नक्शा पास करवाएं उपायुक्त व पार्शद की सिफारिश हो, तो इस प्रकार के केसिज पर विचार किया जा सकता है। अब यह कहना कि मैंने 3 दिन पहले आ वासन दिया था, ठीक नहीं है। मैं बताना चाहूंगी कि मैंने कोई आ वासन नहीं तो दिया है और नहीं कोई आ वासन दे सकती हूँ क्योंकि यहां सिर्फ 35 कॉलोनियों की ही बात नहीं है, पूरे प्रांत की बात है, दिनो-दिन नगरपालिकाओं की सीमाएं बढ़ती जा रही हैं। जहां तक इनकी 35 कॉलोनियों की बात है, इनको नगरपालिका के अंदर लाने का अभी कोई विचार नहीं है।

**श्री ओम प्रकाश जैन:** अध्यक्ष महोदय, मैंने 35 कॉलोनियों को रैगुलराईज करने की बात कही है। इन कॉलोनियों को नगरपालिका की सीमा में लेने से कमेटी की आमदन भी बढ़ जाएगी। वैसे मुझे उम्मीद थी कि मंत्री महोदया हो नहीं करेंगी। अध्यक्ष महोदय, जब से मैं विधायक बना हूँ तब से ही मैं हर सत्र में इस बारे में प्रार्थना कर रहा हूँ। पानीपत में जब मुख्य मंत्री महोदय गए थे तो मैंने उनसे भी इस बारे में प्रार्थना की थी इन कॉलोनियों को रैगुलराईज कर दें। जहां तक डिवैल्पमेंट चार्जिज देने की बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि डिवैल्पमेंट चार्जिज तो वे देने के लिए तैयार है। पहले उन कॉलोनियों का रैगूरईज करके आप कमेटी के अन्दर ले आईए उसके बाद आप डिवैल्पमेंटल चार्जिज उनसे जबरदस्ती भी ले सकते हैं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है।

**डॉ० कमला वर्मा:** अध्यक्ष महोदय, मैं मानीय सदस्य से यह पूछना चाहती हूँ कि ये कौन सी कॉलोनियों को रैगुलराईज करने की बात कर रहा है। रामे 1 नगर, गीता कालोनी, न्यू माडल टाऊन, राम नगर, राजीव कालोनी, बतरा कालोनी, मुखीजा कालोनी, राजपूत कालोनी, आर्य नगर आदि कॉलोनियों को तो हम पहले ही रैगुलराईज कर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, जो भी नई कालोनी के लोग नक्शा पास करवाने के लिए पैसा जमा करवायेगे उसके बारे में अब यह निर्णय लिया गया है कि वह पैसा उसी कालोनी के खाते में अलग से जमा करवाया जायेगा और उस

कालोनी की डिवैल्पमेंट करने में ही खर्च होगा। माननीय साथी, जिन कालोनियों की बात कर रहे हैं उस बारे में कोई भी प्रस्ताव अभी सरकार के पास नहीं आया है। सिर्फ 10 कालोनियों का आया था जो हमने 1996 में रैगुलारईज कर दी।

**श्री अध्यक्ष:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि आप उन कालोनियों में पैसा उनकी सीमा बढ़ाने से पहले लेंगे या सीमा बढ़ाने के बाद।

**श्री कमला वर्मा:** अध्यक्ष महोदय, इस बारे में एक लम्बा प्रोसीजर है। डिवैल्पमेंट चार्जिज तो कमेटी ने लेने और नक्शा भी कमेटी ने पास करना है। इसका तरीका यह है कि पहले नगरपालिका से प्रस्ताव आता है और फिर वह प्रस्ताव डी0 सी0 के पास जाता है। डी0 सी0 उस प्रस्ताव को निदेशालय के माध्यम से सरकार के पास भेजता है। इसके बाद उस प्रस्ताव पर प्रिलिमनरी नोटिफिकेशन 6 हफ्ते के लिए करते हैं। छ हफ्ते के अन्दर उन कालोनियों में रहने वाले लोग जो भी सुझाव या आपत्ति हो वह बता सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रोसैस में 7-8 महीने का समय लग जाता है। एक-एक व्यक्ति की आपत्ति और सुझाव लेने के लिए हम जिला स्तर के किसी जिम्मेवार आफिसर की नियुक्ति करते हैं। वह अधिकारी कालोनी वालों के सुझाव और आपत्तियां नोट करते हैं। उसके बाद ही निर्णय लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अब चुनाव सिर पर है एक साल से भी कम समय रह गया है इसलिए हम 7-8 महीने का सिस्क नहीं ले सकते क्योंकि सारे

प्रोसैस में देरी लगती है चुनाव होने के बाद हम विचार कर लेंगे। जहां पैसे हपले या बाद में लेने की बात थी तो उस बारे में नीति निधारित होने पर ही पैसा लिया जाता है।

**श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान:** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि हमारे भाहर पानीपत में सैक्टर-29 है, यह हुड्डा का सैक्टर है। यह सैक्टर-29 म्यूनिसीपल कमेटी की चुंगी से बाहर है, वहां के लोगों ने सभी डिवैल्पमेंटल चार्जिज भरे हुए हैं तो क्या सरकार का उस सैक्टर के बाहरी किनारे तक चुंगी घर पहुंचाने का कोई विचार है?

**डॉ० कमला वर्मा:** अध्यक्ष महोदय, हुड्डा का अपना एक सिस्टम है। अब हम किसी कालोनी को हुड्डा से टेक औवर करते हैं तभी हम उस पर कार्यवाही कर सकते हैं। मैं दोनो माननीय सदस्यों को यह बताना चाहती हूँ कि पानीपत में इस वक्त चुंगी की बढ़ोतरी हुई है और लगभग एक लाख रूपये रोज आती है। तो मुझे पानीपत के बारे में कोई तकलीफ नहीं हो रही है कि चुंगी आ नहीं आ रही है, या कोई सैक्टर चुंगी की सीमा से बाहर है या अंदर है। हमने नगरपालिका की सीमा वृद्धि का नोटिफिके 1न 29-11-1996 को जारी किया था। उस नोटिफिके 1न के तहत हमने पानीपत में 10 कालोनियों को रैगूलराईज किया था। हुड्डा के किसी सैक्टर न नगरपालिका दखल नहीं दे सकती।

**श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान:** अध्यक्ष महोदय, सैक्टर-29 तो पानीपत भाहर के एक साईड में है और वहन जी कालोनिया रैगुलराईज की है वे भाहर के दूसरी साईड पर है। वह सैक्टर तो पानीपत से दिल्ली की तरफ जी० टी० रोड पर चुंगी से बाहर है। उसके सभी चार्जिज जमा किये हुए है और यह सैक्टर इण्डस्ट्रीयल सैक्टर है।

**डॉ० कमला वर्मा:** अध्यक्ष महोदय, हुड्डा का तो अपना एक सिस्टम है। जब तक हम हुड्डा की कालोनियों को टेक ओवर नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते और न ही चुंगी लगा सकते है।

**श्री ओम प्रकाश जैन:** अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले वहन जी ने कहा कि कोई रैजोल्यूशन नहीं है और अभी एक मिनट में यह कह दिया कि रैजोल्यूशन है। लेकिन मैं वहन जी का आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि वहन जी इस केस की इन्कवायरी करवायें। यह रैजोल्यूशन डी० सी० ने वहन जी के पास भेजा हुआ है इस बारे में वहन जी को पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए वहन जी आप इस तरह की बातें न करें।

**डॉ० कमला वर्मा:** अध्यक्ष महोदय, मेरे को ऐसा लगना है कि माननीय सदस्य को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने पहले भी बताया कि 29-11-1996 को 10 कालोनियों को रैगुलराईज करने के लिए नोटिफिकेशन आया था और उस

प्रस्ताव को मान कर हमने इन कालोनियों को रैगूलार्इज किया है। अध्यक्ष महोदय, इन 10 कालोनियों के अतिरिक्त और दूसरी कालोनियों का कोई भी प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है।

**श्री ओम प्रकाश जैन:** अध्यक्ष महोदय, जिन 10 कालोनियों के बारे में बहन जी बता रही हैं वे तो पहले से ही म्यूनिसीपल कमेटी के एरिया में हैं, उनका तो इस सवाल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यह रैजोल्यूशन इस बात का है कि वहां पर म्यूनिसीपल कमेटीज की सीमा बढ़ाई जाये। अगर मंत्री महोदय चाहती हैं तो इस दोबारा से अपने रिकार्ड से चेक कर लें।

**मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल):** अध्यक्ष महोदय, जैन साहब चाहते हैं कि वहां पहले म्यूनिसीपल कमेटी कालोनियां को टेक-अप कर लें, फिर डिवैल्पमेंट का काम हो और फिर डिवैल्पमेंट चार्जिज लिए जाए। जबकि वास्तविकता यह है और हमारा यह तजुर्बा है कि अगर एक बार हम उन कालोनियों को म्यूनिसीपल लिमिट में ले लेते हैं तो फिर डिवैल्पमेंट चार्जिज कोई नहीं देता। वैसे भी पानीपत जैन साहब, की खुद की कंस्टीच्यूएंसी है इसलिए वे भी वहां पर थोड़ी बहुत मेहनत करें। यह काम जिला प्रशासन में डिप्टी कमीशनर के जिम्मे लगा दें और इसके लिए एक रिवोल्विंग फण्ड बना लें। उस फण्ड में खुद पैसा जमा कराये और उनको खुद ही खर्च करें। इस फण्ड से सीवरेज, बिजली, मडकों आदि के सारे डिवैल्पमेंट के कार्य करवाएं तो हम वह एरिया नगरपालिका के अन्दर ले लेंगे। वरना होता क्या है कि एक

बार जब हम किसी कालोनी को म्यूनिसिपल्टी में लैते है तो बाद में कोई भी डिवैल्पमेंट चार्जिज नही देता। फिर जब चुनाव आयेंगे तो लोग कहेंगे कि आप तो पैसा मांगते हो, हम किस बात के लिए वोट दे इसलिए पोलिटीयन की इसमें मजबूरी होती है। इसलिये जैन साहब हम भी आपकी सहायता करेंगे और जिला प्रशासन से भी इसके लिए कहेंगे लेकिन आप भी उनसे इस बारे में कही। हर लोकल सैक्टर में पंचायत बना लो व पैसे इक्ठे करके आप लोग खर्च करो। जब वह एरिया डिवैल्प हो जायेगा तो हम उसको म्यूनिसिपल्टी में ले लेंगे।

#### तारांकित प्र न सं० 979

(यह प्र न पूछा नही गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री बन्ता राम सदन में उपस्थित नही थे।)

#### तारांकित प्र न सं० 818

(यह प्र न पूछा नही गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री देवराज दीवान सदन में उपस्थित नही थे।)

#### **Shortage of Drinking Water**

**871. Shri Anil Vij:** Will the Minister for Public Health be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of dinking water in some areas of Mahesh Nagar, Gobind Nagar and Sandar Bazar areas of Ambala Cant. and

(b) if so the steps taken or proposed to be taken to meet out the said shortage of drinking water?

**श्री स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ):**

(क) अम्बाला छावनी के सदर बाजार में पेय जल की कोई कमी नहीं है। परन्तु अम्बाला छावनी के महे 1 नगर और गोबिन्द नगर क्षेत्रों में जल वितरण का स्तर कुछ समय पहले एक नलकूप के असफल होने के कारण कुछ हद तक कम हो गया है।

(ख) असफल हुए नलकूप के स्थान पर एक नया नलकूप लगाने का प्रस्ताव विचारधीन है।

**श्री अनिय विज:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर दिया है वह संतोशजनक नहीं है क्योंकि सदर बाजार क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है और विशेष तौर से जो पुलिस स्टेशन और उसके आस-पास का जितना भी इलाका है, वहां आज के दिन भी पानी की बहुत कमी है जबकि आज कल तो पानी की कोई खास खपत भी नहीं होती है। इसका अलावा आउटर एरियाज में जैसे कि महे 1 नगर और गोबिन्द नगर में भी पानी की बहुत कमी है और मंत्री महोदय ने माना भी है कि इन एरियाज में पानी की कमी है और उन्होंने कहा है कि कुछ हद तक कमी है जबकि इन एरियाज में तो काफी हद तक कमी। केवल एक ट्यूबवैल लगाने से वहां पर पानी की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। आज अम्बाला में दिन प्रतिदिन वाटर लैवल काफी नीचे जा रहा है और जितने भी पुराने ट्यूबवैल्ज है चाहे वे 250 फुट गहरे हो या 500 फुट



गहराई वाले हो, धीरे-धीरे बन्द होते जा रहे हैं और अब ज्यादा गहरे नलकूप लगाये जा रहे हैं। पानी की वहां पर बहुत दिक्कत है और आने वाले समय में और भी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस पानी की दिक्कत से जुझने के लिये वहां पर कितने नलकूप लगाने की योजना है ताकि वहां पर पानी की कठिनाई को दूर किया जा सके।

**श्री जगन नाथ:** अध्यक्ष महोदय, अम्बाला कैट के सदर बाजार एरिया में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 104 लिटर पानी मिल रहा है फिर भी वहां पानी की कमी है। इसी प्रकार से महे 1 नगर और गोबिन्द नगर क्षेत्रों में भी पानी की कमी है लेकिन अम्बाला कैन्ट का यह जो एरिया है इसमें बहुत नीचे है और वाटर लैवल नीचा होने के कारण 1100 फुट गहरे नलकूप लगाने पड़ते हैं फिर भी वहां पर जितना पानी मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पाता है और खर्च भी ज्यादा आता है। इन एरियाज में पानी भी 7-8 साल में खत्म हो जाता है जबकि ट्यूबवैज की लाइफ कम से कम 15 साल होनी चाहिये। इसके विपरीत दूसरे एरियाज में 350 फुट नीचे पानी मिल जाता है हमारे महकमेकं ने यह को 1 1 भी की थी कि सदर बाजार और महे 1 नगर के ईद-गिर्द कही पानी का लैवल ठीक मिल जाये लेकिन ऐसी कोई जगह मिल नहीं रही है। वाकी ट्यूबवैल से भी हमारा काम चलता नहीं है इसलिए हमने मिलिट्री अथोरिटीज से इस बारे में बात की है कि आप हमें मिलिट्री एरिया

में 70 एकड़ जमीन दे दें ताकि हम यहां पर कैनल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम बना कर यहां एक बड़ा पानी का टैंक बना सकें और उससे इस सारे एरिया को पीने का पानी सप्लाई करेंगे लेकिन 1992 से लेकर आज तक मिलिट्री वालो ने वह जमीन हमारे महकमे को नहीं दी है। मिलिट्री वालो से कभी हमारे डी0 सी0 अम्बाला, कभी कमि नर अम्बाला और कभी हमारे महकमे के औफिसर्ज उस जमीन के बारे में बातचीत करते रहे है लेकिन अभी तक वह जमीन हमें नहीं मिल पाई है। जब तक हमें उनसे जमीन नहीं मिल जाती तब तक हम कैनल वेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम नहीं बना सकते। अब हमने सोचा है कि मिलिट्री वाले हम जमीन तो देगे नहीं इसलिए हम और किसी दूसरी जगह पर ट्यूबवैल लगाएंगे। इस बारे में हमने माननीय सदस्य से भी बात की है कि आप हमें ट्यूबवैल लगाने के लिए कोई जगह बताएं ताकि हम वह जमीन मार्किट रेट पर ले कर उस पर ट्यूबवैल लगा सकें और उस इलाके के लिए पीने के पानी का पूरा प्रबंध कर सकें। कैथल और रिवाड़ी के विधायको और वहां के सिटिजंज ने जो जगह हमें बताई थी वहां पर हमने ट्यूबवैल लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसलिए हम माननीय सदस्य बिज साहब आप से भी प्रार्थना करते है कि आप वहां पर हम कोई जगह बताएं। मैं खुद आपके साथ मौके पर जाऊंगा, हमारे महकमे के औफिसर्ज भी साथ जाएंगे। आप केवल यह बता देहं कि इन जगह पर ट्यूबवैल लगा दिया जाए। आप जितने भी ट्यूबवैल लगाने के लिए कहेगे हम उतने ट्यूबवैल लगाने का काम शुरू करवा देगे।

**श्री अनिल बिज:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो कैनाल वेस्ड वाटर सप्लाय स्कीम की बात कही है, उस बारे में भी यह बात जानता हूँ कि पिछले 10-15 साल में आर्मी वालों से आर्मी एरिया के अन्दर जमीन लेने की कोशिश की जा रही है लेकिन आर्मी वालों से लड़ना कोई आसान काम नहीं है उन्होंने वह जमीन आज तक नहीं दी है। इसलिए मंत्री जी वहाँ पर खुद जा कर किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर जमीन एक्वायर करके इस कैनाल वेस्ड वाटर सप्लाय स्कीम को लागू कराएँ। आप मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि वह लैंड एक्वायर करने के बाद से लेकर पूरी योजना लागू होने तक काफी समय लग सकता है।

**Mr. Speaker:** Please ask the supplementary.

**Shri Anil Vij:** Sir, I am asking the Supplementary. टाईम भी बहुत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से फिर दोबारा वही प्रश्न करना चाहूँगा। जब तक कैनाल वेस्ड वाटर सप्लाय स्कीम नहीं बन जाती, तब तक ट्यूबवैल लगा कर वहाँ पर पीने का पानी दिया जाए लेकिन ट्यूबवैल फेल होने के बाद फिर हम सैकड़ों लोगों को फिर ट्यूबवैल लगाएँ उतनी देर तक लोगों को बहुत दिक्कत होती है हमें पता है कि वहाँ का वाटर लैवल डाउन जा रहा है इसलिए ट्यूबवैल फेल हो रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या सारे नगर की जनता के लिए पीने का पानी की पूरी सप्लाय करने के लिए गहरे ट्यूबवैल लगाने की किसी योजना पर विचार कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो कितने और ऐसे

ट्यूबवैल लगाए जाएंगे। जब तक वहां पर कैनल वेस्ड वाटर स्कीम नहीं बन जाती तब तक के लिए वहां पर गहरे ट्यूबवैल लगा कर ही वहां की जनता को पीने के पानी की दिक्कत से बचाया जा सकता है।

**श्री जगन नाथ:** अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य से प्रार्थना की है ये हमें कोई जगह बता दे हम वहां पर ट्यूबवैल लगा कर पीने का पानी सप्लाई कर देंगे। माननीय सदस्य ने विशेष कर महे 1 नगर और गोबिन्द नगर के बारे में पूछा है। गोबिन्द नगर में एक ट्यूबवैल से 8 हजार गेलन पानी मिल रहा था अब उससे 4 हजार गेलन पानी मिला रहा है। अम्बाला जगाधरी रोड पर एक बहुत बड़ा ट्यूबवैल है उसमें 11 हजार गेलन पानी मिलता है उस ट्यूबवैल का कुछ पानी भी हम महे 1 नगर को सप्लाई कर रहे हैं। गोबिन्द नगर को हम प्रीत नगर से पानी की सप्लाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक ट्यूबवैल अम्बाला जगाधरी रोड पर बाहर लगा हुआ है उससे भी पानी दे रहे हैं लेकिन जब तक वहां के लिए किसी और जगह पर ट्यूबवैल नहीं लगाया जाता तब तक जितना पानी उन एरियाज के लिए चाहिए उतना नहीं मिल जाएगा। ट्यूबवैल लगाने के लिए कोई जगह अब य देखनी पड़ेगी। विधायक जी कोई जगह हमें बता दें हमारा महकमा उस जगह को मार्किट रेट पर एक्वायर कर लेगा और वहां पर ट्यूबवैल लगाने का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा।

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

**तारांकित प्र न सं० 954**

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री नरेन्द्र सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

**तारांकित प्र न सं० 942**

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री राम फल कुण्डू सदन में उपस्थित नहीं थे।)

**Construction of a Stadium at Charkhi-Dadri**

**969. Shri Sat Pal Sangwan:** Will the Minister of State for Sports be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Stadium at Charkhi-Dadri; if so, the time by which the aforesaid Stadium is likely to be completed?

**खेल राज्य मंत्री (श्री रामसरूप रामा):** श्री मान जी, जी नहीं।

**श्री सतपाल सांगवान:** स्पीकर साहब, दादरी एक बहुत ही पुरानी तहसील है और इसमें कम से कम 10-12 ऐसे प्लेयर हुए हैं जिन्होंने एगिटेसन गेम्स अभी हुए हैं उनमें भी दादरी तहसील के झोजू खुर्द गांव का एक लड़का जो कबड्डी का प्लेयर था उसने बहुत अच्छीह परफोरमेंस दी है। इसके अलावा एक

लड़की जो 40 साल से ऊपर की उम्र की है उसने भी बहुत अच्छी पफौमैन्स दी है। वह है तो हमारे यहां की लेकिन उसका ब्याहा तो गाम कान्स्टीच्यूएं गी में कर रखा है। इसके अलावा लीला राम, सज्जन सिंह, हवा सिंह, राजकुमार सांगवान, राजबीर, राजबाला व रामफल राणा आदि ऐसे खिलाड़ी भी दादरी के एरिया के हैं जिन्होंने गोल्ड मैडल लिए हुए हैं। खेलों में दादरी के लोगों का बड़ा भाव है। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है कि यहां पर कोई भी स्टेडियम या मिनी स्टेडियम नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार यहां पर कोई मिनी स्टेडियम ही बना दे क्योंकि इसकी यहां पर बहुत ज्यादा डिमाण्ड है। जब यहां पर कुत्ती तया हो रही थी तो यहां के लोगों के लोगों ने मुझे भी यहां पर बुलाया था। मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर कुत्ती का भी कोई स्टेडियम नहीं है। मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वे इस बात पर जरूर ध्यान दें और कोई स्टेडियम अवश्य बनवा दें।

**श्री रामसरूप रामा:** स्पीकर साहब, आदरणीय जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि जहां पर इतने अच्छे खिलाड़ी हों, यहां पर कोई मिनी स्टेडियम अवश्य होना चाहिए, इसे मैं भी मानता हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जब भी सरकार की कही पर स्टेडियम बनाने की कोई योजना होती है तो स्टेडियम बनाने के लिए नगरपालिका या पंचायत की तरफ से किसी न किसी तरीके से जमीन खेल विभाग को फ्री में दी जाती है। कृपा करके सांगवान साहब जमीन का इन्तजाम करवा दें। हम भी इनकी

बात से सहमत है। जमीन मिलने के बाद वहां पर स्टेडियम बनाने के लिए पूरे तौर से विचार किया जायेगा।

**जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ):** मिनी स्टेडियम के बनाये जाने के बारे में जैसे अभी सांगवान जी ने सवाल किया है उस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि किसी रूरल एरिया में या किसी म्यूनिसिपल कमेटी के अन्दर स्टेडियम बनाने के लिए वहां की पर्याप्त को या कमेटी को 6 एकड़ जमीन देनी होती है और इसके साथ ही 42 हजार रुपये देने होते हैं। फिर इतनी ही राशि स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से डालती है। इन दोनों राशियों को मिला कर जितना पैसा होता है। उतना ही पैसा फिर केन्द्र सरकार देती है। इस तरह से जो यह डेढ़ लाख रुपये के आपपास जो पैसा बनता है उससे स्टेडियम नहीं बन सकता। यह बात भी ठीक है कि दादरी एरिया में सबसे ज्यादा एथेलेटिक व रेसलिंग आदि के प्लेयर हुए हैं। वहां पर स्टेडियम जरूर बनना चाहिए। लेकिन सरकार के पास पैसे नहीं हैं इसलिए पैसे के अभाव के कारण वहां पर स्टेडियम फिलहाल बनाना संभव नहीं है।

**शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्गव):** अध्यक्ष महोदय, लीला पहलवान, मन्दोले का सजन, समदपुर का रामबीर, एक झोझू का और कई अन्य खिलाड़ी ऐसे हैं जो गोल्ड मैडल लेकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में भी हमारे माननीय साथी सतपाल सिंह सांगवान जी भी गोल्ड मैडल से कम नहीं हैं। इसलिए मेरा

आपके माध्यम से खेल मंत्री से निवेदन है कि सांगवान जी का जो स्टेडियम बनाने का सवाल है उस पर अब य विचार करें।

**श्री अध्यक्ष:** खेल मंत्री जी कोई गांव आपको 6 एकड़ जमीन और निर्धारित राशि भी दे दे तो क्या आप वहां पर कोई मिनी स्टेडियम बनवा देंगे।

**श्री रामसरूप रामा:** ऐसा है कि इसके लिए हमारे पास 36 पंचायतों और नगरपालिकाओं के पैसे जमा हुए हैं। यह स्कीम भारत सरकार की थी कि मिनी स्टेडियम के लिए 42 हजार रुपये पंचायत भर दे और 42 हजार रुपये हरियाणा सरकार देगी और उतना ही पैसा फिर भारत सरकार देती थी। लेकिन अब भारत सरकार ने इन स्कीम को बंद कर दिया है। अब वे कोई नयी स्कीम बना करके भेजेगे लेकिन अभी वह स्कीम आई नहीं है। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार की तरफ से कोई नयी स्कीम जल्दी ही आ जायेगी। हमारे पास करीब 35-40 केसिंज ऐसे पड़े हुए हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि ये इन सोसाईटीज की अपने गांव के पैसे से मदद कर दी जाएगी, जमीन फ्री दे दी जाएगी तो उसके बाद हरियाणा सरकार से भी पैसा मिल सकता है और इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं।

**श्री सतपाल सांगवान:** स्पीकर सर, भार्मा जी ने बहुत बढ़िया करमाया है जिससे मुझे खुशी भी हुई लेकिन मेरे हर



सवाल का जवाब नहीं में मिलता है इसलिए मेरा गोल्ड मैडल तो ऐसा लगता है कि घर में ही रखा रह जाएगा।

**श्री राम बिलास भार्मा:** स्पीकर सर, आपकी इनायत सांगवान साहब पर है और दादरी में मेरा लगाव भी है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा डायलैक्ट में एक कहावत भी है कि कटड़े का मन तो भैस की देख कर चाले। सांगवान साहब, के कॉलेज की बात भी कल आई थी और अभी आपने भी मान्यवर रामा जी से पूछा है कि अगर बोन्द में कालेज के आस-पास छः एकड़ जमीन मिल जाए और उसका प्रस्ताव पंचायत की तरफ से आ जाए तो क्या सरकार उस पर करेगी।

**Providing of Mortuary/Life/Private Ward in Civil Hospital.  
Panipat**

**974. Shri Om Parkash Jain:** Will the Minister for Health be pleased to stat whether there is any proposal under consideration of Governement to provide the facilties of private ward, life and mortuary in the Civil Hospital. Panipat?

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन):** प्राईवेट वार्ड का निर्माण सरकार के विचारधीन है। इस अस्पताल में लिफ्ट का कोई प्रावधान नहीं है। सामान्य अस्पताल, पानीपत में भावगृह की सुविधा पहले की उपलब्ध है परन्तु यह अपर्याप्त है। अतिरिक्त भावगृह भवन के बारे प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है।

**श्री ओम प्रकाश जैन:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने प्राईवेट वार्ड के लिए कहा है कि यह विचारधीन है। पिछले बार भी मंत्री जी ने यही कहा था कि विचारधीन है इसलिए मैं आपके माध्यम से इनसे यह जानना चाहूंगा कि इस पर कब तक विचार करते हैं रहेंगे और इसको कब तक बनवाने का इरादा है अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न लिफ्ट से जुड़ा हुआ है। आपने एन थियेटर तीसरी मंजिल पर है और वहां पर मरीजों को लाने, ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है इसलिए मैं यह प्रार्थना करूंगा कि सरकार वहां पर लिफ्ट बनवा दें। उससे बड़ा लाभ होगा। अध्यक्ष महोदय, यह अस्पताल जी० टी० रोड पर पड़ने वाला मेन अस्पताल है और डी० टी० रोड पर एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। इस अस्पताल में जो भावगृह है वह बहुत ही छोटा है इसलिए मेरा निवेदन है कि भावगृह भी बड़ा बनवा दें। इनकी मेहरबानी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस पर कब तक विचार करेंगे और इसको कब तक बनवा देंगे?

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने ऑनरेबल साथीको लिफ्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि ऊपर की मंजिल पर जो कमरा बना हुआ है वहां के लिए सीढ़ियां और रैम्प बना हुआ है इसलिए वहां पर लिफ्ट लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। जहां तक प्राईवेट वार्ड का ताल्लुक है, 10 कमरों के लिए चीफ आर्किटेक्चर, चण्डीगढ़ को

हमने लिख कर भेजा हुआ है और वे उसकी ड्राईंग बना रहे हैं। ड्राईंग बनने के बाद एस्टीमेट्स बन जाएंगे और मेरे ख्याल से 10 कमरे अब य बना दिए जाएंगे। इसके अलावा जहां तक भाव गृह की बात है वहां पर पहले ही एक कमरा बना हुआ है। तथा सरकार भी चाहती है कि उस कमरे को और बड़ा किया जाए। इस कमरे की ड्राईंग का मामला भी आरकिटैक्ट के पास गया हुआ है और इसको भी हम जल्दी करवा देंगे।

**श्री ओम प्रकाश जैन:** अध्यक्ष महोदय, मैंने जी को बताया है कि आप्रें इन थियेटर तीसरी मंजिल पर है। क्या आप्रें इन थियेटर को नीचली मंजिल पर लाने के बारे में सरकार विचार करेंगी। दूसरे वहां पर लाईट की बड़ी भारी दिक्कत है। वहां पर जो जनरेटर है वह ठीक नहीं है और उसको ठीक नहीं करवाया जा रहा है। क्या मंत्री जी वहां पर उस जनरेटर को ठीक करवाएंगे या उसकी जगह पर दूसरा नया जनरेटर लगवाएंगे। वहां पर क्या हीट लाईन को भी चालू करवाएंगे।

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** अध्यक्ष महोदय, थियेटर को नीचे लाने वाली जो बात है तो इस बारे में मैं अपने टैक्नीकल आदमियों से बात करूंगा और उसके बाद ही इस बारे में फैसला किया जाएगा। जहां तक विजली की बात है वह हाटलाईन से मिले या हमें जनरेटर ठीक करवाना पड़े वहां पर बिजली मिलेगी।

**Mr. Speaker:** The list of questions is exhausted and hence the questions hours is over.

समितियों की रिपोर्टस पे । करना—

(i) पब्लिक अकाऊटस कमेटी की 47 रिपोर्ट

**Mr. Speaker:** Hon'ble members, now Shri Satpal Sangwan, Chairperson. Committee on Public Accounts will present the Fourty Seventh Report of the Committee on Public Accounts for the year 1998-99 on the Appropriation Accounts/Finace Accounts of the Haryana Government for the year 1994-45.

**Shri Satpal Sangwan** (Chairperson Committee on Public Accounts): Shri, I beg to present the Fourty Seveth Report of the Committee on Public Accunts for the year 1998-99 on Appropriation Accounts/Finace Accounts of the Haryana Government for the year 1994-95

(ii) एस्टीमेट्स कमेटी की 31वी रिपोर्ट

**Mr. Speaker:** Hon'ble Members. now Shri Narpender Singh. Chairperson of the Committee on Estimates will present the Thrty First Report of the Committee on Estimates for the year 1998-99

**Shri Narpender** (Charperson, Committee on Estimates): Sir, I beg to present the Thirty First Report of the Committee on Estimates for the year 1998-99

(iii) पब्लिक अंडरटेकिंगज कमेटी की 44 रिपोर्ट

**Mr. Speaker:** Hon'ble Member now Shri Bijender Singh Kadyan Chairperson. Committee on Publec Undertaings will present the Fourty Fourth Report of the Committee on

Public Undertakings for the year 1998-99 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1995-96 (Commercial)

**Shri Bijender Singh Kadyan** (Chairperson Committee on Public Undertakings): Shri, I beg to present the Fourty Fourth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 1998-99 on the Report of the Comptroller and Audditor General of India for the year 1995-96 (Commereial)

वर्ष 1998-99 के अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा तथा  
मतदान

**Mr. Speaker:** Hon'ble Members. now discussion and voting on the supplementary Estmates for the yaar 1998-99 will take place.

As per the past practice and its order to save the time of the House, the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. The Hon'ble Member can raise discussion on any demand but they are requested to mdicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 15207000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 inrespectof Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray

charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 2 General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 74440000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 3-Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 57168000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 5-Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 7-Other Administrative Services.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 45761000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 11-Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10167400 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 14-Food and Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4939500000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 15-Irrigation

That a supplementary sum not exceeding Rs. 132293000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 16-Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 20 Forest

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 25 Loans and Advances by State Government.

(No member rose to speak)

**Mr. Speaker:** Now the demands will be put to the vote of the House.

**Mr. Speaker:** Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 15207000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for

the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 1-  
Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 2 General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 74440000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 3-Home.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 57168000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 5-Excise and Taxation.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 7-Other Administrative Services.



The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 45761000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 11- Unban Development.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 45761000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 11- Unban Development.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10167400 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 14- Food and Supplies.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4939500000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 15-Irrigation

That a supplementary sum not exceeding Rs. 132293000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 16-Industries.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 20 Forest

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31<sup>st</sup> March, 1999 in respect of Demand No. 25 Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Hon'ble Members. now discussion and voting on the supplementary Estimates for the year 1998-99 will take place.

As per the past practice and its order to save the time of the House, the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. The Hon'ble Member can raise discussion on any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a sum not exceeding Rs. 62811000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 110129300 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 2 General Administration.

That a sum not exceeding Rs 4260270000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 3-Home.

That a sum not exceeding Rs 680027000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 4-Revenue

That a sum not exceeding Rs 354893000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 5-Excise and Taxation.

That a sum not exceeding Rs 3957640000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 6-Finance

That a sum not exceeding Rs 9235855000 for revenue expenditure and Rs.900000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of charges Demand No. 7-Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs 32224149000 for revenue expenditure and Rs.2661610000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of charges Demand No. 8-Building and Roads.

That a sum not exceeding Rs 11684513000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 9-Education.

That a sum not exceeding Rs 5319126000 for revenue expenditure and Rs.1297000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of charges Demand No. 10-Medical & Public Health

That a sum not exceeding Rs.468402000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 11- Urban Development

That a sum not exceeding Rs. 510635000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 12- Labour and Employment

That a sum not exceeding Rs 2527781000 for revenue expenditure and Rs.22000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of charges Demand No. 13- Social Welfare & Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs 181496000 for revenue expenditure and Rs.5240191000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of charges Demand No. 14 Food & Supplies.

That a sum not exceeding Rs 8509400000 for revenue expenditure and Rs.7725800000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of charges Demand No. 15-Irrigation

That a sum not exceeding Rs 671792000 for revenue expenditure and Rs.167800000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the

course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of charges Demand No. 16- Industries.

That a sum not exceeding Rs. 2292503000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 17-Agriculture

That a sum not exceeding Rs. 880273000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 18- Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 69710000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 19- Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 702077000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 20- Forest

That a sum not exceeding Rs. 961385000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 21. Community Development.

That a sum not exceeding Rs 206301000 for revenue expenditure and Rs.107634000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the

course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of charges Demand No. 22-Cooperation

That a sum not exceeding Rs 4179358000 for revenue expenditure and Rs.4055000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of charges Demand No. 23-Transport.

That a sum not exceeding Rs 15425000 for revenue expenditure and Rs. 40000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of charges Demand No. 24-Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 2564492000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 25- Loans & Advances by State Govt.

(no member rose to speak.)

**Mr. Speaker:** Now, the demands will be put to the vote of the House.

**Mr. Speaker:** Question is-

That a sum not exceeding Rs. 62811000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 110129300 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 2 General Administration.

That a sum not exceeding Rs 4260270000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 3-Home.

That a sum not exceeding Rs 680027000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 4-Revenue

That a sum not exceeding Rs 354893000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 5-Excise and Taxation.

That a sum not exceeding Rs 3957640000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 6-Finance

That a sum not exceeding Rs 9235855000 for revenue expenditure and Rs.900000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of charges Demand No. 7-Other Administrative Services.



That a sum not exceeding Rs 32224149000 for revenue expenditure and Rs.2661610000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of charges Demand No. 8-Bildomg amd Roads.

That a sum not exceeding Rs 11684513000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 9-Education.

That a sum not exceeding Rs 5319126000 for revenue expenditure and Rs.1297000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of charges Demand No. 10-Medical & Public Health

That a sum not exceeding Rs.468402000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 11- Urban Development

That a sum not exceeding Rs. 510635000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 12- Lobour and Employment

That a sum not exceeding Rs 2527781000 for revenue expenditure and Rs.22000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in

respect of charges Demand No. 13- Social Welfare & Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs 181496000 for revenue expenditure and Rs.5240191000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of charges Demand No. 14 Food & Supplies.

That a sum not exceeding Rs 8509400000 for revenue expenditure and Rs.7725800000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of charges Demand No. 15-Irrigation

That a sum not exceeding Rs 671792000 for revenue expenditure and Rs.167800000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of charges Demand No. 16- Industries.

That a sum not exceeding Rs. 2292503000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 17-Agriculture

That a sum not exceeding Rs. 880273000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 18- Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 69710000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 19- Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 702077000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 20- Forest

That a sum not exceeding Rs. 961385000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 21. Community Development.

That a sum not exceeding Rs 206301000 for revenue expenditure and Rs.107634000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of charges Demand No. 22-Cooperation

That a sum not exceeding Rs 4179358000 for revenue expenditure and Rs.4055000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of charges Demand No. 23-Transport.

That a sum not exceeding Rs 15425000 for revenue expenditure and Rs. 40000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of charges Demand No. 24-Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 2564492000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 1999-2000 in respect of Demand No. 25- Loans & Advances by State Govt.

The motion was carried.

बिल्ज—

(i) दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल 1999

**Mr. Speaker:** Now, the Development Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 1999 and he will also move the motion for its consideration.

**Development Minister (Shri Kanwal Singh):** Sir, I beg to introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill 1999.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Panchyati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the Haryana Panchyati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Haryana Panchyati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Now, the House will consider the Bill clause by clause.

**Clause 2**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Clause 3**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Clause 4**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 4 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Clause 5**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 5 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Clause 6**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 6 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Clause 7**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 7 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Clause 8**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 8 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Clause 9**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 9 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Clause 10**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 10 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Clause 11**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 11 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Clause 12**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 12 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Clause 13**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 13 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Clause 14**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 14 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Clause 15**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 15 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Clause 16**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 16 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Clause 17**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 17 stand part of the Bill



The Motion was carried.

**Clause 18**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 18 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Clause 19**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 19 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Clause 20**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 20 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Clause 21**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 21 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Clause 1**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Enacting Formula**

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula  
of the Bill

The Motion was carried.

**Title**

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Title be the Title of the Bill

The Motion was carried.

**Mr. Speaker:** Now, the Development move the Bill  
be passed.

**Development Minister (Shri Kanwal Singh):** Sir, I  
beg to.

Sir, I also beg to move-

That the the Bill be passed.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि पंजाब ि ाड्यूल रोडज एंड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रीक् ान  
आफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमेंट (हरियाणा अमैडमैट) बिल? 1999

**Mr. Speaker:** Now the Minister of State for Parliametary Affairs will introduce the Panjab Schedule Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment)Bill,1999.

**Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini):** Sir, I beg to introduce the Panjab Schedule Roads and Controlled Aress Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment)Bill 1999.

Sir, I also beg to move-

That the Panjab Schedule Roads and Controlled Aress Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment)Bill be taken into consideration at once.

ि ाक्षा मंत्री (श्री रामबिलास भार्मा): स्पीकर सर, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धान अधिनियम, 1963 में स ाधन के लिए हम यह सं ाधन विधेयक

लाये हैं। स्पीकर सर, नगरों में आपने देखा है कि कई स्थानों पर हैफाजार्ड ग्रोथ हो गई है। कोई भी आदमी किसी भी सड़क के साथ-साथ नाजायज कब्जा कर लेता है, पुलों के आस-पास कब्जा कर लेता है। इसको हटाने के लिए पहले 15 दिन का समय दिया जाता था और 15 दिन के समय में वह आदमी उस जगह पर पूरी कंस्ट्रक्शन कर लेता था इस तरह के कब्जों को रोकने में तेजी लाने के लिए यह बिल लाया गया है। इस तरह का प्रावधान इस बिल में किया गया है।

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Panjab Schedule Roads and Controlled Aress Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment)Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

### **Clause 2**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill

The Motion was carried.

### **Clause 3**

**Mr. Speaker:** I have received an amendment to this clause from Shri Kapoor Chand Sharma. He may please move the amendment.

श्री कपूर चन्द्र भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में निम्नलिखित संशोधन मूव करना चाहता हूँ—

पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1999 में प्रस्तावित धारा-12-ग की उप-धारा (1) के लिए प्रस्तावित खण्ड-3 में निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात:—

(1) ऐसी तिथि से जैसा कि सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे जिस में वितायुक्त (कार्यरत या सेवानिवृत्त) की पदवी से कम से कम न हो तथा सड़को तथा राजमार्गों के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाले मुख्य अभियन्ता के पद का सदस्य हो, की अध्यक्षता में एक अधिकरण गठित करेगी। यदि अधिकरण के सदस्य किसी मामले में विभाजित हो, तो अधिकरण के अध्यक्ष का फैसला मान्य होगा।

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That in the proposed clause 3 for Sub-Section (I) of the proposed Section 12-C the following Sub-Section shall be substituted namely:-

(I) With effect from such date as the Government may by notification, constitute a Tribunal consisting of a Chairman in the rank of not less than Financial Commissioner (serving or retired) and a member of the rank of Chief Engineer having special knowledge about roads and highways.

It the Members of the Tribunal are divided over some matter, the decision of the Chairman of the Tribunal Shall prevail

**श्री सोमबीर सिंह: (लोहारू):** अध्यक्ष महोदय, श्री कपूर चन्द्र भार्मा जी ने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इनकी यह बात बिल्कुल ठीक है कि ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के पद के लिए वितायुक्त (कार्यरत या सेवानिवृत्त) होना चाहिए तथा इसका सदस्य मुख्य अभियंता की पदवी का होना चाहिए। जो सड़को तथा राजमार्गों के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाला हो, क्योंकि उनका एक लम्बे समय का तजुर्बा होता है तथा वे हाईली-क्वालीफाईड भी होते हैं। उनको रूलज व अपीलों के बारे में भी अच्छी नॉलेज होती है। इसलिए हाई कोर्ट के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों के स्थान पर वितायुक्त को ही लगाना उचित होगा।

**श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान (नौलथा):** अध्यक्ष महोदय, श्री कपूर चन्द्र भार्मा जी ने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उनकी यह बात बिल्कुल सही है कि इस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन कम से कम वितायुक्त की पदवी का होना चाहिए व इसका सदस्य चीफ इंजीनियर की पदवी का होना चाहिए। इससे जनता को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इन लोगों को इस क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान होगा।

श्री कैला । चन्द्र भार्मा (नारनौल): अध्यक्ष महोदय, श्री कपूर चन्द भार्मा जी ने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए हुआ हूँ। मैं उनके इस सं गोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ जो कि बिल्कुल जायज है, इसलिए इसको पास कर दिया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री उत्तर सिंह सैनी): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण ने जो सं गोधन का प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा है यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है और यह डुप्लीमेंट हो जाना चाहिए।

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That in the proposed clause 3 for Sub-Section (I) of the proposed Section 12-C the following Sub-Section shall be substituted namely:-

(I) With effect from such date as the Government may by notification, constitute a Tribunal consisting of a Chairman in the rank of not less than Financial Commissioner (serving or retired) and a member of the rank of Chief Engineer having special knowledge about roads and highways. If the Members of the Tribunal are divided over some matter, the decision of the Chairman of the Tribunal shall prevail.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Clause 1**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill

The Motion was carried.

**Enacting Formula**

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula  
of the Bill

The Motion was carried.

**Title**

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Title be the Title of the Bill

The Motion was carried.

**Mr. Speaker:** Now, the Minister of State for Public  
Relations will move that the Bill, as amended, be passed.

**Minister of State for Public Relations (Shri Attar  
Singh Saini):** Sir, I also beg to move-

That the the Bill be passed.



**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

**Mr. Speaker:** Hon'ble Members. The business as entered in the list of business is exhausted and now the House is adjourned till 10.00 A. M. tomorrow. the 10<sup>th</sup> February, 1999.

**15.17 Hrs.**

(The Sabh then adjourned till 10.00 A.M. tomorrow the 10<sup>th</sup> February, 1999.)